विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 18 जनवरी, 2013 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 56वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की छप्पनवीं (56वीं) बैठक श्री एस आर राव, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 18 जनवरी, 2013 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 579 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से इस समय 384 एसईजेड अधिसूचित हो गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 17 जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार, एसईजेड में 2,18,795.41 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 9,45,990 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, एसईजेड से 3,64,477.73 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2010-11 के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 15.39 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष में 30 सितंबर, 2012 तक 2,39,628.78 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है जो वित्त वर्ष 2011-12 की समतुल्य अवधि में निर्यात की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक है।

मद संख्या 56.1 : सह विकासक के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार / सह विकासक करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेंमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू एसईजेड अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के प्रस्तावों के साथ पट्टा विलेख / प्रारूप विलेख संलग्न होना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ विकासक एवं प्रस्तावित सह विकासक के बीच वित्तीय लेनदेन / व्यवस्था का ब्यौरा होना चाहिए। प्रस्तावों पर अनुमोदन बोर्ड के निर्णय इस प्रकार हैं :

(i) मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा ग्राम ड्रुब, तालुक मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एमपीएसईजेड यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड (एमयूपीएल) का अनुरोध

एमयूपीएल द्वारा सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया गया। विकास आयुक्त, केएसईजेड ने स्पष्ट किया कि एफटीडब्ल्यूजेड में कोई सुविधा मौजूद नहीं है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार दिनांक 21 जून 2012 के अनुसरण में निम्नलिखित शर्तों के अधीन विद्युत, गैस, पानी, निस्सारी शोधन संयंत्र, सीवेज आदि जैसी अवसंरचना सुविधाएं / यूटिलिटीजी प्रदान करने के लिए उपर्युक्त

एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स एमपीएसईजेड यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड (एमयूपीएल) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

(i) अधिकृत प्रचालनों को सह विकासक करार में स्पष्ट रूप से उल्लिखित सेवाओं तक सीमित किया जा सकता है और एसईजेड में पदधारियों द्वारा अपेक्षित अन्य यूटिलिटी सेवाओं को शामिल नहीं किया जा सकता है।

(ii) अनुमोदित सह विकासक करार के दायरे से बाहर किए गए किसी करार को अनुमोदन के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखना होगा।

18 जनवरी, 2013 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 56वीं बैठक का कार्यवृत्त

(ii) पानोली, अंकलेश्वर के पास, जिला भड़ूच, गुजरात में मैसर्स एचबीएस फार्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फार्मास्युटिकल के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एचबीएस सिटी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (पूर्व में जेबी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड) का अनुरोध

मैसर्स एचबीएस सिटी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया गया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक मैसर्स एचबीएस फर्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड ने जीआईडीसी से पट्टा पर एसईजेड की 125.04.94 हेक्टेयर भूमि ली है तथा 99 साल की अवधि के लिए उक्त भूमि के लिए पट्टा करार दिनांक 7 अक्टूबर 2008 किया गया है। उपयोग के संबंध में जीआईडीसी के साथ विकासक के पट्टा करार के खंड 3.3 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि :

"पक्ष इस बात से सहमत हैं कि पट्टाधारक एसईजेड अधिनियम, एसईजेड नियमावली के प्रावधानों, गुजरात एसईजेड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में तथा अवसंरचना सुविधाएं एवं अवसंरचना प्रदान करने के लिए मंजूरी पत्र की शर्तों एवं नियमों के अनुसार एसईजेड के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए हस्तांतरित परिसरों का उपयोग करने का वचन देता है तथा तद्नुसार उप पट्टा के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से आवश्यक स्थान या निर्मित क्षेत्र आवंटित कर सकता है या ऐसी यूनिटों के उद्यमियों के साथ पट्टाधारक द्वारा किए गए करार की शर्तों के अनुसरण में उनमें अनुमोदित एसईजेड यूनिटों को अवसंरचना संबद्ध सेवाएं प्रदान करता सकता है और यह कि इस संबंध में पट्टाकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा यह कि तद्नुसार पट्टाधारक को पट्टाकर्ता से पुन: अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक के करार के अनुसरण में वाणिज्य विभाग के पत्र दिनांक 24 नवंबर 2010 के माध्यम से विकासक द्वारा संचालित किए जाने के लिए अनुमोदित अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स एचबीएस सिटी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि गुजरात सरकार तथा जीआईडीसी को भी मामले से अवगत कराया जाए।

मद संख्या 56.2 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) जामनगर, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने एसईजेड से 728.43 हेक्टेयर के आंशिक विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 1035.72 हेक्टेयर रह जाएगा। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि अन्य बातों के साथ एसईजेड की सन्निकटता बरकरार है, विकासक ने कटौती किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, प्रस्ताव पर राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, आदि।

(ii) नेलीकोड एवं पंतिरांकावु गांव, कोझीकोड, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआई लिमिटेड) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने अधिसूचित एसईजेड में 1.5637 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआई लिमिटेड) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 11.6847 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने के अधीन है तथा एसईजेड में शामिल किया जाने वाला क्षेत्र खाली होना चाहिए।

(iii) कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में आवंटित किए गए स्थान में वृद्धि के लिए मैसर्स डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स पेरोट सिस्टम्स टीएसआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रचालन के क्षेत्रफल को मूलत: आवंटित 2.91 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2.92 हेक्टेयर करने के लिए सह विकासक मैसर्स डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स पेरोट सिस्टम्स टीएसआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 56.3 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम विलायत, तालुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में 139-90-46 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तेल एवं गैस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स गुजरात हाइड्रोकार्बंस एंड पावर एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने ग्राम विलायत, तालुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में 139-90-46 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तेल एवं गैस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स गुजरात हाइड्रोकार्बंस एंड पावर एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि अन्य बातों के साथ एसईजेड की सन्निकटता बरकरार है, विकासक ने कटौती किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, प्रस्ताव पर राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, आदि।

बोर्ड के अध्यक्ष ने निदेश दिया कि ऐसे सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीडीटी और सीबीईसी को सूचना भेजना अनिवार्य है।

मद संख्या 56.4: औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) कागल, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने 104 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कागल, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है, राज्य सरकार को प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है आदि।

मद संख्या 56.5: पांचवें एवं छठें साल के बाद यूनिटों के औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। तद्नुसार, अनुरोधों पर निर्णय निम्नानुसार है :

(i) आदिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 03 फरवरी, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 3 फरवरी, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) माहेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स जेटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 अक्टूबर, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) केआर पुरम, बंगलौर उत्तर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) चौथी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स बैगमाने बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 30 जून 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई, जिसके दौरान विकासक के लिए परियोजना का निर्माण शुरू करना अनिवार्य है तथा ऐसा न होने पर बोर्ड द्वारा अवधि बढ़ाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2012 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) चौथी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार ने परियोजना के लिए अभी तक पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नहीं की है क्योंकि यह राज्य पर्यावरण समिति के पास लंबित है। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को इस संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने का निदेश दिया। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

(v) रविरियाल गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टारगेज प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 30जून, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vi) अलुवा तालुक, एर्नाकुलम में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 अक्टूबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 30 जून 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई, जिसके दौरान विकासक के लिए परियोजना का निर्माण शुरू करना अनिवार्य है तथा ऐसा न होने पर बोर्ड द्वारा अवधि बढ़ाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

मद संख्या 56.6 : अलीबाग, रायगढ़, महाराष्ट्र में 250 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिनांक 15 नवंबर, 2006 की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक मैसर्स मुंबई फ्यूचरिस्टिक इकोनामिक जोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि आज तक परियोजना में कोई अवसंरचना विकास / वित्तीय निवेश नहीं किया गया है। तद्नुसार बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि विकासक इस संबंध में अपेक्षित शर्तों का पालन हो जाने पर नए एलओए के लिए आवेदन कर सकता है।

मद संख्या 56.7: डेनकारूकोट्टई तालुक, होसुर, तमिलनाडु में 101.1714 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमआरओ सहित एयरपोर्ट / एविएशन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिनांक 21 नवंबर, 2008 की वैधता अवधि चौथी बार बढ़ाने के लिए विकासक मैसर्स तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड का अनुरोध

चर्चा के दौरान तमिलनाडु राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने राज्य सरकार के लिए परियोजना के महत्व पर बल दिया और सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार को 6 दिन के अंदर वाणिज्य विभाग को उपर्युक्त परियोजना पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने का निदेश दिया ताकि वर्तमान परियोजना के लिए अवधि बढ़ाने के अनुरोध पर निर्णय लिया जा सके।

मद संख्या 56.8 : 7वें वर्ष के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने परियोजना के 7वें वर्ष के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 24 अक्टूबर, 2013 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 56.9 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 11 नवंबर 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए रवीरयाला गांव, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे सेमी कंडक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट मैसर्स केएसके सूर्या फोटोवाल्टिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 11 नवंबर, 2013 तक उपर्युक्त यूनिट के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 22 दिसंबर 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए रविरयाला गांव, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेमीकंडक्टर के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट मैसर्स एंबेडेड आईटी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 30 सितंबर, 2013 तक उपर्युक्त यूनिट के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) 27 मार्च, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अंजनी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड जो एपीएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 30 सितंबर, 2013 तक उपर्युक्त यूनिट के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iv) 22 जून 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स डायनमिक पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड जो इंजीनियरिंग के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि 22 जून 2012 के बाद यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं हैं। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

(v) 2 दिसंबर, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टोरेंट फर्मास्युटिकल्स (दाहेज) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 02 दिसंबर, 2013 तक उपर्युक्त यूनिट के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vi) मैसर्स त्रिशिराया रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड जो एमईपीजेड की यूनिट है, के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने तथा उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि यूनिट के लिए कोई डीटीए बिक्री अनुमत नहीं होगी।

क्षमता में वृद्धि के लिए अनुरोध के मुद्दे पर अनुमोदन बोर्ड ने मुद्दे को आस्थगित कर दिया तथा इस संबंध में एमएसएमई से विशिष्ट टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

(vii) मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल जो फाल्टा एसईजेड की यूनिट है, के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, एफएसईजेड का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 31 मार्च 2013 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रयुक्त / फटे पुराने कपड़ों की रिसाइकलिंग के व्यवसाय में शामिल यूनिटों पर नीति को अंतिम रूप दिए जाने के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 56.10 : मैसर्स मावेरिक सिस्टम्स लिमिटेड, चेन्नई के संबंध में एसईजेड यूनिट को एलएंडटी अरुण एक्सेलो आईटी एसईजेड (अब एलएंडटी चेन्नई प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड), वल्लनचेरी गांव, चेंगलपट्टू तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु से डीएलएफ इनफोसिटी डवलपर्स (चेन्नई लिमिटेड), मनपक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु के क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड में ट्रांसफर करने / रिलोकेट करने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स मावेरिक सिस्टम्स लिमिटेड, चेन्नई के संबंध में एसईजेड यूनिट के एलएंडटी अरुण एक्सेलो आईटी एसईजेड (अब एलएंडटी चेन्नई प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड), वल्लनचेरी गांव, चेंगलपट्टू तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु से डीएलएफ इनफोसिटी डवलपर्स (चेन्नई लिमिटेड), मनपक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु के क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड में हस्तांतरण के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को यूनिट के अंतरण से उत्पन्न कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा और यह शर्त भी लागू होगी कि यूनिट की स्थापना एवं संचालन के लिए प्रयुक्त मदों के संबंध में प्राप्त किए गए ड्यूटी / कर लाभ का पुनर्भुगतान किया जाएगा।

मद संख्या 56.11 : रासायनिक तथा कृषि रासायनिक उत्पादों में ट्रेडिंग के लिए दाहेज एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स मेघमणि इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि बैठक में न तो कृषि मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ और न ही विचाराधीन मुद्दे पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत की गई है। अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि यह एसईजेड नीति के तहत परिकल्पित एकल खिड़की तंत्र की प्रक्रिया के विरुद्ध है। विचार विमर्श के बाद मामले को इस निर्णय के साथ आस्थगित कर दिया गया कि इस संबंध में आवश्यक इनपुट अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है तथा ऐसा न होने पर मेरिट के आधार पर मामले में निर्णय लिया जाएगा।

मद संख्या 56.12 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) मल्टी फंक्शनल प्रिंटर एवं डिवाइस के लिए प्रयुक्त कार्ट्रिज का विनिर्माण / रिइंजीनियरिंग करने तथा डीटीए में आपूर्ति करने के लिए अनुमति / अस्वीकृति के विरुद्ध मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि की बात सुनी। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार करने का निर्णय लिया क्योंकि यह एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत अनुमत नहीं है।

(ii) 'कैब सेवा' किराए पर लेने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स ईआई डुपोंट सर्विसेज सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे वीएसईजेडजेड की यूनिट है, की अपील

अपीलकर्ता को सुनने तथा इस विषय पर विचार विमर्श करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार करने का निर्णय लिया क्योंकि यह एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत अनुमत नहीं है।

(iii) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड में लिए गए निर्णय दिनांक 25 अक्टूबर 2012 के विरुद्ध मैसर्स मयार इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एमआईडीपीएल) की अपील

अपीलकर्ता को सुनने तथा इस विषय पर विचार विमर्श करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार करने का निर्णय लिया क्योंकि यह एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत अनुमत नहीं है।

(iv) हमीरपुर, खेतवास, सैदपुर एवं वजीरपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के संबंध में एक साल की अवधि के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स रहेजा एसईजेड लिमिटेड की अपील

अपीलकर्ता के अनुरोध पर मामले को आस्थगित कर दिया गया था।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 56.13: विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) मणिपुर, इंफाल में 10.85 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स मणिपुर आईटी एसईजेड प्रोजेक्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मणिपुर सरकार का एसपीवी है, का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मणिपुर सरकार द्वारा पत्र दिनांक 31 दिसंबर 2013 के माध्यम से सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए एसईजेड परियोजना प्रस्तुत की गई थी। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि उनके द्वारा स्थल के निरीक्षण और राज्य सरकार द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धता पर विचार करने के बाद बोर्ड से यह सिफारिश की गई थी कि एसईजेड परियोजना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मणिपुर, इंफाल में 10.85 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स मणिपुर आईटी एसईजेड प्रोजेक्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मणिपुर सरकार का एसपीवी है, के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 56.14 : चौथे और पांचवें साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 4 दिसंबर 2011 के बाद (चौथे और पांचवें वर्ष के बाद) मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कोमटेक एक्सपोर्ट्स लिमिटेड जो सिपकॉट लिमिटेड द्वारा श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में ट्रेडिंग एवं लाजिस्टिक्स की गतिविधियों सहित इलेक्ट्रानिक्स / टेलीकाम हार्डवेयर तथा सहायता सेवाओं के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 04 दिसंबर, 2013 तक उपर्युक्त यूनिट के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 23 अप्रैल, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो मिहान एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 30 जून, 2013 तक उपर्युक्त यूनिट के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 56.15: अनुमोदन बोर्ड के निर्णयों पर पुनर्विचार के लिए अनुरोध

(i) 25 सितंबर 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स मेघमणि यूनीचेम एलएलपी जो दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 30 जून, 2013 तक उपर्युक्त यूनिट के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 56.16 : कनायानूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि में वृद्धि के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने केरल सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को नोट किया और राजस्व विभाग की टिप्पणियों पर विचार किया। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कनायानूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में 53.1809 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 46.3773 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को निम्नलिखित के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

1) विकासक को ओवरब्रिज के निर्माण के माध्यम से दो भूखंडों के बीच सन्निकटता स्थापित करने का सुनिश्चय करना है।
2) यह सन्निकटता 18 माह की अवधि के अंदर स्थापित की जानी है।
3) सन्निकटता स्थापित करने पर हुए व्यय के लिए कोई कर / ड्यूटी लाभ अनुमत नहीं होगा।
4) सन्निकटता स्थापित होने तक, एसईजेड के केवल प्रसंस्करण क्षेत्र में यूनिटों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की जाएगी, जो अधिसूचित हो चुका है।

राजस्व विभाग ने सक्षम प्राधिकारी से समुचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया।

सारणी एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 56.17 : एसईजेड में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाना

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि 23 नवंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में इसने प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिटों पर नीति निर्मित न होने के कारण 31 दिसंबर 2012 तक प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों की वैधता अवधि बढ़ाने की पुष्टि की है।

चूंकि नीति को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने 31 मार्च 2013 तक प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि प्रारूप नीति यथाशीघ्र वाणिज्य विभाग द्वारा परिचालित की जाएगी जिसे अंतिम रूप देने से पूर्व विभिन्न हितधारकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय प्रदान किया जाएगा।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

****